UPSP100023462017

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–II, देवबन्द, सहारनपुर।

परिवाद संख्या 634/2017

पल्लव कुमार बनाम गौरव गुप्ता

अं० धारा– 138 एन०आई०एक्ट

थाना– नागल

25.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2026 प्रस्तुत कर उसके निस्तारण पर बल दिया गया। उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा है–

निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.08.2026

2. परिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.08.2026 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद उक्त में परिवादी का विपक्षी गौरव गुप्ता के साथ राजीनामा हो गया है। उक्त परिवाद में चैक की रकम मुबलिग 5,00,000/– रूपये परिवादी द्वारा प्राप्त कर लिये गए हैं। अब कोई विवाद शेष नहीं है। परिवादी अपना वाद वापस लेना चाहता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि परिवादी को अपना परिवाद वापस लेने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. परिवादी द्वारा उक्त परिवाद, अभियुक्त गौरव गुप्ता द्वारा प्रदत्त चैक मुबलिग 5,00,000/– रूपये के अनादरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2026 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवाद में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। परिवादी द्वारा चैक में दर्शायी गयी धनराशि मुबलिग 5,00,000/– रूपये नकद अभियुक्त गौरव गुप्ता से प्राप्त करली है तथा वाद को आगे न चलाने की याचना की गई है। चूंकि परिवादी परिवाद नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद को अन्तर्गत धारा 280 भा०न०सु०सं० पूर्ववर्ती धारा 257 सी०आर०पी०सी० के समतुल्य है, वापस करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

परिवादी को धारा 280 भा०न०सु०सं० के अन्तर्गत परिवाद वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

परिवादी को प्रस्तुत परिवाद धारा 280 भा०न०सु०सं० के अन्तर्गत वापस करते हुए परिवाद की कार्यवाही निरस्त की जाती है। परिणामतः अभियुक्त गौरव गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता को दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट-II
देवबंद, सहारनपुर।
UP3741